

19/6/19

वादीगण के अधिवक्ता एवं वादीगण स्वयं अनुपस्थित।
वादीगण एवं वादीगण के अधिवक्ता को अदालत उठने तक
बार बार डाँके लगाई गई। परन्तु वादीगण ही अदालत
से कोई अदालत उपस्थित नहीं आया।

अतः उक्त वादीगण एवं उनके अधिवक्ता की
अनुपस्थिति में अदालत एजिरी अदालत फौजदारी के खारेज
किया जाता है। मिसल केसल शुभार होकर नखर
से फर्म ले। बाक दफ्तर दारिदल हो।

आदेश आज से इजलास सुनाया गया।

(बोहनलाल अहमदवतिया)
उपस्थित अधिवक्ता
दफ्तर (अदालत) राज

